FIROZABAD POLICE

सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा

प्रेस नोट थाना उत्तर दिनाँक 25-08-2024 जनपद फिरोजाबाद ।

थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म व एससी/एसटी से सम्बन्धित अभियुक्त मेहताब आलम को पुलिस मुठभेड के दौरान किया गया गिरफ्तार ।

- **अभियुक्त के कब्जे से अवैध असलहा, खोखा कारतूस एवं जिंदा कारतूस बरामद ।**
- **अभियुक्त मेहताब आलम पुलिस मुठभेड़ के दौरान बाँयें पैर में गोली लगने से हुआ घायल**
- **थाना उत्तर पर सूचना प्राप्त होने के पश्चचात मात्र 08 घण्टे के अन्दर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार ।**

आज दिनांक 25-08-2024 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना उत्तर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 559/24 धारा 137(2), 64(1), 351(3) बीएनएस0, ¾ पोक्सो एक्ट व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में मु0अ0सं0 559/24 के अभियुक्त मेहताब आलम की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था । थाना उत्तर पुलिस टीम को चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि मु0अ0सं0 559/24 से सम्बन्धित अभियुक्त मेहताब आलम बैंदी की पुलिया के पास खड़ा हुआ है । जो कहीं भागने की फिराक में है । उक्त सूचना का संज्ञान लेकर थाना उत्तर पुलिस टीम बैंदी की पुलिया के पास पहुँची तो इसी दौरान खडा हुआ एक संदिग्ध युवक पुलिस टीम को देखकर भागने लगा ।

पुलिस टीम द्वारा उक्त युवक को आवाज देकर रुकने का इशारा किया गया तो पुलिस टीम को देखकर युवक भागते हुए पुलिस टीम पर अवैध असलहा से फायर करने लगा । पुलिस टीम द्वारा खुद को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में अभियुक्त घायल हो गया । घायल की पहचान

मेहताब आलम उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र मोहम्मद अनीस निवासी हुगली, पश्चिम बंगाल के रुप में हुयी है जो कि मु0अ0सं0 559/24 में नामजद अभियुक्त है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को हिरासत में लेकर उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- वादी द्वारा थाना उत्तर पर आज दिनांक 25-08-2024 को तहरीर दी गयी थी कि दिनाँक 24-08-2024 को मेरी नाबालिक पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष को मेहताब आलम पुत्र मोहम्मद अनीस निवासी हुगली पश्चिम बंगाल बहला फुसलाकर ले गया था तलाशने पर आज दिनांक 25-08-2024 को अटल पार्क में मेरी पुत्री के साथ बैठा था जो हमको देखकर भाग गया।

मेरी पुत्री ने बताया कि मेहताब मुझसे फोन पर बात करता था इसी दौराना मेहताब द्वारा मुझे बहला-फुसलाकर हाईवे के किनारे बने किसी होटल में ले जाकर कमरे के अन्दर जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये तथा धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मार दूँगा, आपको देखकर मेहताब यहाँ से मुझे छोडकर भाग गया है। तहरीर के आधार पर थाना उत्तर पर मु0अ0सं0 559/2024 धारा 137(2),64(1),351(3), बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1- मेहताब आलम पुत्र मोहम्मद अनीस निवासी हुगली, पश्चिम बंगाल।

बरामदगी का विवरण-

1- 01 अदद तमंचा 315 बोर।

2- 01 अदद खोखा कारतूस।

3- 01 अदद जिंदा कारतूस।